कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 343/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.09.2025

डॉ अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना-सिधारी

साइबर फ्राड के कुल 14,021/-रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आवेदक आदर्श शर्मा पुत्र सुबास चन्द निवासी खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ जो पेशे से विद्यार्थी है। आवेदक ITI (इलेक्ट्रिशियन) किया है | जिससे आवेदक को विदेश जाने की इच्छा थी | आवेदक ने बीजा बनवाने के लिए फेसबुक से एक आईडी सर्च किया था, जिस पर अपना नंबर लिंक कर दिया था उसके बाद आवेदक को एक नंबर से कॉल आया और बताया गया कि आपका बीजा आ गया है आपको दो किस्तों में 40,000 -40,000 रुपये भेजना होगा, फिर आवेदक आदर्श शर्मा द्वारा फ्राडस्टर द्वारा दिये गये खाते पर 75000/- रुपये भेज दिया गया। जब आवेदक को ज्ञात हुआ की मेरे साथ साईबर फ्राड हुआ है तो आवेदक द्वारा दिनांक 03.06.2025 को शिकायत नं0 23106250081285 दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक आदर्श शर्मा पुत्र सुबास चन्द निवासी खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ द्वारा साईबर आनलाइन NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 23106250081285 दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 75,000/- रुपये का साईबर फ्राड हुआ है। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा आवेदक का पैसा 14,021 /- रुपया HDFC Bank मे होल्ड कर दिया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त मा0 न्यायालय से पैसा वापस कराने हेतु कोर्ट आर्डर प्राप्त किया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदक का पैसा 14,021 /- रुपया आवेदक के खाते मे वापस कराया गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

साईबर टीम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

साइबर फ्राड के कुल 4900/-रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.08.2025 को आवेदिका खुशी पुत्री विजय कुमार सा0 जमालपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके आवेदिका के पिता द्वारा पैसे मांगने की बात बताकर 4900 रु0 का साइबर फ्राड कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदिका पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23108250125678 है।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदिका खुशी पुत्री विजय कुमार सा0 जमालपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के साथ फ्राड हुए 4900 रु0 की जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि आवेदिका के खाते से कटा 4900 रु0 से Croma कम्पनी की साइट से सामान खरीद लिया गया था। प्रकरण के सम्बन्ध Croma कम्पनी के नोडल अधिकारी को विवरण से अवगत कराया गया जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा 4900 रु0 की खरीददारी को रद्द करते हुए भेजे गये नोटिस के अनुसार आवेदिका के खातें में 4900 रूपया (REFUND) अवमुक्त कराया जा चुका है।

पुलिस टीम का विवरणः-

साइबर टीम थाना फूलपुर जनपद- आजमगढ़